अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001

ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 355 दिनांक– 11 जुलाई 2019

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के आदेश "पत्रांक अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 93 दिनांक 25 अप्रैल, 2019" के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, आर. आर. क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरुनानक गर्ल्स इन्टर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा योजना के अंतर्गत की गयी कतिपय अनियमितताओं के आरोपों के कारण अस्पताल की सूचीबद्धता (empanelment) निलम्बित की गयी तथा आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु डा0 अमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण तथा डा0 मदन मोहन, सलाहकार, कियान्वयन सहायता एजेंसी की जाँच समिति गठित की गयी। जाँच समिति द्वारा दिनांक 21 मई 2019 को अपनी आख्या दी गयी। कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर को जाँच समिति की आख्या उपलब्ध कराते हुए "पत्रांक अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 221 दिनांक 01 जून, 2019" द्वारा "कारण बताओ नोटिस" दिया गया। कृशन हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 13 जून 2019 को ई–मेल के माध्यम से "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर दिया गया। कृशन हॉस्पिटल को दिये गए "कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरांत प्रकरण के निस्तारण हेतु बिंदुवार विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>आरोप संख्या –01 –</u>

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत कृशन हॉस्पिटल, आर0आर0, क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरूनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर, बायपास रोड, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर द्वारा सूचीबद्ध किये जाने हेतु किए गए आवेदन पत्र के अनुसार डॉ0 गौरव अग्रवाल 24×7 कृशन हॉस्पिटल, आर0आर0, क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरूनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर, बायपास रोड, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर में उपलब्ध एकमात्र चिकित्सक हैं, साथ ही डॉ0 गौरव अग्रवाल जवाहर लाल नेहरू, जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, जनपद उधमसिंह नगर में संविदा पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध होने की तिथि से वर्तमान तक की

11-07-19

अवधि में पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। अतः यह मिथ्या कथन है कि डॉ0 गौरव अग्रवाल कृशन हॉस्पिटल में 24×7 उपलब्ध चिकित्सक हैं।

जाँच समिति की टिप्पणी– अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, उत्तराखण्ड हेतु कृशन हॉस्पिटल, आर0आर0, क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरूनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर, बायपास रोड, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर द्वारा इम्पैनलमेंट के ऑनलाईन आवेदन में एकल चिकित्सक के रूप में डॉ0 गौरव अग्रवाल द्वारा 24×7 उपलब्ध रहना दर्शायी गयी है, जिसकी अभिलेखीय आधार पर पुष्टि होती है । डॉ0 गौरव अग्रवाल जवाहर लाल नेहरू, जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, जनपद उधमसिंह नगर में Cardiologist (संविदा) के तौर पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त तथा वर्तमान में भी कार्यरत हैं जिसकी अभिलेखीय आधार पर पुष्टि होती है।

उपरोक्त अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर जाँच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि डॉ0 गौरव अग्रवाल द्वारा कृशन हॉस्पिटल, आर0आर0, क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरूनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर, बायपास रोड, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये ऑनलाईन आवेदन में पूर्णकालिक चिकित्सक होने का कथन मिथ्या पाया गया है तथा जाँच समिति डॉ0 गौरव अग्रवाल को अभिलेखों के आधार पर कृशन हॉस्पिटल में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में होने की पुष्टि नहीं कर पायी।

आरोप संख्या 01 का प्रतिउत्तर–

डा0 गौरव अग्रवाल संविदा पर जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में ऐलोपैथिक चिकित्सक के रुप में कार्यरत हैं, अपनी निर्धारित ड्यूटी के उपरांत अन्यत्र प्राईवेट प्रैक्टिस अथवा हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं, कृशन हॉस्पिटल में चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य स्टाफ भी कार्यरत है, जो भर्ती मरीज के उपचार हेतु 24×7 उपस्थित रहते हैं, चिकित्सक द्वारा मरीजों को भर्ती करने के उपरांत उनकी देख–भाल चिकित्सालय में उपलब्ध स्टाफ द्वारा की जाती है।

आरोप संख्या 01 –विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

कृशन हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) के अंतर्गत सूचीबद्ध (Empanel) कराने हेतु अपने प्रस्ताव (Proposal) में, जो कि online आवेदन–पत्र के माध्यम से दिया गया, यह declare किया कि डा0 गौरव अग्रवाल, अस्पताल में Duty Medical Doctor के रुप में round the clock उपलब्ध हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु दिये गए प्रस्ताव के अनुसार डा0 गौरव अग्रवाल कृशन हॉस्पिटल में एकमात्र डाक्टर हैं।

11.02.19

अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि डा0 गौरव अग्रवाल जवाहर लाल नेहरु, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर जनपद ऊधम सिंह नगर में संविदा पर अस्पताल के अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध होने की तिथि से वर्तमान तक पूर्णकालिक (Full Time) ऐलोपैथिक डाक्टर के रुप में कार्यरत हैं।

अतः यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर डा0 गौरव अग्रवाल जवाहर लाल नेहरु, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में पूर्णकालिक डाक्टर के रुप में कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर वे कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर (जो कि एक प्राईवेट अस्पताल है तथा जिसमें वे एकमात्र चिकित्सक हैं) में वे Duty Doctor के रुप में round the clock उपलब्ध हैं।

चूँकि डा0 गौरव अग्रवाल राजकीय जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में पूर्णकालिक रुप से तैनात हैं, अतः यह स्पष्ट है कि वे दूसरे निजी अस्पताल में (जिसमें वे एकमात्र उपलब्ध डाक्टर हैं) में duty doctor के रुप में round the clock उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा अपने उत्तर में डा0 गौरव अग्रवाल के दो अस्पतालों में कार्यरत होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि मरीजों को भर्ती करने के उपरांत उनकी देख–भाल चिकित्सालय में उपलब्ध स्टाफ द्वारा की जाती है। कृशन हॉस्पिटल का यह स्पष्टीकरण नितांत असंतोषजनक है, क्योंकि मरीजों की देख–भाल के लिए अस्पताल में Duty Medical Doctor के रुप में डाक्टर की round the clock उपस्थिति आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी "Guidelines on Process of Empanelment for Hospital" के Annexure -01, जिसमें सूचीबद्धता (Empanelment) की अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया है, में यह निर्धारित है कि "hospital applying for empanelment should have adequate MBBS doctors physically in charge round the clock. " कृशन हॉस्पिटल द्वारा "कारण बताओ नोटिस" के उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि डा0 गौरव अग्रवाल अस्पताल में Duty Doctor के रुप में round the clock उपलब्ध नहीं हैं।

कृशन हॉस्पिटल द्वारा न केवल Empanelment Guidelines का उल्लंघन किया है, वरन् उनका यह स्पष्टीकरण कि मरीजों की देख–भाल स्टाफ द्वारा कर ली जाती है, घोर आपत्तिजनक है तथा यह मरीजों के उपचार के साथ serious compromise है। ऐसी दशा में अस्पताल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत समस्त मरीजों का समुचित उपचार नहीं करके उनके द्वारा अनुबंध की निम्न शर्त का उल्लंघन किया गया है:–

1.07.19

"Section 2: Scope of Services"

" 7. The EHCP (Empanelled Health Care provider) shall ensure that medical treatment/facility under this agreement should be provided with all due care and accepted standards is extended to the beneficiary."

यहाँ यह उल्लेखनीय है योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल (Empanelled Health Care provider) भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा निर्गत सभी Guidelines का पालन करने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में अनुबंध में निम्न प्राविधान है:–

"Section 8: General responsibilities and obligations of the EHCP"

"13. The EHCP agrees to follow the guidelines issued further by Department of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand/MoHFW/NHA/SHA for the implementation of the Atal Ayushman Uttarakhand Scheme/AB-PMJAY."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि "The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत "National Council for Clinical Establishments" द्वारा बनाये गये न्यूनतम मानकों (minimum standards) के अनुसार अस्पताल द्वारा उपचार की प्रत्येक Speciality के लिए न्यूनतम एक "Round the Clock MBBS Duty Doctor" अस्पताल में उपलब्ध होना आवश्यक है।

उक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन पत्र भर कर जो प्रस्ताव (Proposal) दिया गया है, वह मिथ्या कथन (Misrepresentation) है, क्योंकि वे जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में संविदा पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहते हुए कृशन हॉस्पिटल में एकल चिकित्सक के रूप में Round the Clock उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। चूँकि डा0 गौरव अग्रवाल द्वारा जानबूझ कर गलत इरादे से योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये प्रस्ताव में मिथ्या/झूठा कथन किया गया हैं, अतः यह धोखाधडी (Fraud) की श्रेणी में आता है। अतः राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उनके प्रस्ताव पर दी गयी स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार Free Consent नहीं है तथा कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के साथ किया गया अनुबन्ध SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रस्ताव एक असम्भव कार्य को करने का प्रस्ताव है क्योंकि जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए डा0 गौरव

11.07.19

अग्रवाल की कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर में Round the Clock उपलब्धता सम्भव नहीं है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार "असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध" शून्य (Void) होने के कारण कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा जो भी क्लेम की धनराशि SHA से प्राप्त की गयी है, उसकी वसूली करने का अधिनियम के प्राविधानों अनुसार SHA को अधिकार है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रविधानो का विवरण निम्न प्रकार हैं–

17. "fraud defined

"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agents, with intent to deceive another party thereto or his agent, to induce him to enter into the contract;

(1) the suggestion as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true;

(2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;

(3) .....

(4) .....

(5) ....."

19. Voidability of agreements without free consent

"When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused....."

56. Agreement to do impossible act

"An agreement to do an act impossible in itself is void..... "

65. Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void

"When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) का कृत्य किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 19 के अनुसार

11.07.19

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर SHA द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति बिना "Free Consent" के है तथा यह धोखाधड़ी पर आधारित है। परिणाम स्वरूप, कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर का सूचीबद्धता के सम्बन्ध में अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा ऐसे कार्य को करने का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात अनुबन्ध किया गया जो कि असम्भव है। जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में संविदा पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक होने के कारण डा0 गौरव अग्रवाल का कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर में Round the Clock उपलब्ध रहना असम्भव कार्य है। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही शून्य (*ab initio void*) है। ऐसी दशा में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा SHA से प्राप्त की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली SHA द्वारा की जानी चाहिए।

चूँकि कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अन्तर्गत धोखाधड़ी का कार्य (Fraud) किया गया है तथा धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध किया गया है, अतः कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध शून्य (Void) है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर से भुगतान की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के विरुद्ध आरोप संख्या 01 पूर्णतः सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या –02–</u>

अभिलेखों के अनुसार कृशन हॉस्पिटल, आर.आर. क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से आतिथि तक कुल 17 मरीजों का ईलाज किया गया है परंतु सभी 17 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया है, कोई भी रेफरल केस नहीं है। उपरोक्त चिकित्सालय के द्वारा प्रस्तुत समस्त मेडिकल अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत पाया गया है कि समस्त मरीजों के क्लीनिकल नोट्स में भर्ती का समय तथा उनके प्रोग्रेस चार्ट में भी कोई समय अंकित नहीं है तथा डिस्चार्ज कार्ड में भी भर्ती/डिस्चार्ज का समय अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य से मरीजों की भर्ती तथा उपचार के समय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः यह कहना कठिन होगा कि समस्त रोगी इमरजेंसी में किस समय भर्ती हुए। यह तथ्य इस संदेह की पुष्टि करता है कि सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा समस्त मरीजों की भर्ती इमरजेंसी के रुप में

11.07.19

दिखाई गई है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

जाँच समिति की टिप्पणी– उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 02 के संबंध में कृशन हॉस्पिटल, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर में 17 मरीजों के उपचार से संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य पाये गयेः–

उपरोक्त 17 मरीजों मे से 03 मरीजों (क्र0सं0 2 में अंकित सुश्री नीतू यादव, 5 में अंकित सुश्री कमला रानी एवं 12 में अंकित सुश्री जीत कौर) का प्री–ऑथ अप्रूवल ऑटो अप्रूवल हुआ तथा शेष 14 मरीजों (क्र0सं0 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17) को राज्य हैल्थ एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कियान्वयन सहायता एजेंसी के माध्यम से अप्रूव किया गया।

उपरोक्त 17 मरीजों का उनके डायग्नोसिस के आधार पर विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Diagnosis	No. of Cases	Attached Table Serial No.
01	Pyrexia of Unknown origin	01	07
02	Acute febrile illness	01	08
03	Acute Viral Hepatitis	05	09,10,11,12&13
04	Recurrent Vomiting	03	01, 02&03
05	Upper GI Bleeding	01	16
06	Acute Bronchitis	02	04, 05
07	Pneumonia	01	14
08	Acute exacerbations of COPD	01	17
09	Diabetic Keto acidosis	01	15
10	Acute & Chronic Pancreatitis	01	06

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकनानुसार यह निश्चित है कि मरीजों का भर्ती होने का समय अंकित न करना एवं मरीज के किसी भी उपचार से संबंधित दस्तावेज में समय अंकित न करना हॉस्पिटल द्वारा अभिलेखों को अपूर्ण रखते हुए इस संदेह की पुष्टि करता है कि मरीजों को गुणवत्ता पूर्ण ईलाज उपलब्ध न कराते हुए गैरजिम्मेदाराना रूप से कार्य करने की पुष्टि करता है। उपरोक्त तालिका में क्र0सं0 03 पर अंकित Viral Hepatitis सामान्यतः पानी के संक्रमण द्वारा होती है जो कि दिसम्बर से अप्रैल के बीच होने की सम्भावना कम होती है। सभी 17 मरीजों को आपातकालीन स्थिति में भर्ती करना जाँच समिति को सामान्य नहीं लगा जो हॉस्पिटल द्वारा अपनाई गयी कूटनीति को साबित करता है।

11.07.19

आरोप संख्या 02 का प्रतिउत्तर–

सभी केस फिजिशियन से संबंधित कृशन हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिस सभी 17 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया है, कोई भी रेफर केस नहीं है के संबंध में अवगत कराना है कि रुद्रपुर के सभी प्राईवेट चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर से ही मरीज संदर्भित किये जाते हैं। चूँकि डा0 गौरव अग्रवाल एकमात्र चिकित्सक हैं जो जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में कार्डियोलॉजिस्ट/फिजीशियन का कार्य संपादित करते हैं। जिनके द्वारा मेडिसिन संबंधित अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को चिकित्सालय से अन्यत्र चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। यदि मेरे द्वारा स्वयं कृशन हॉस्पिटल में मरीजों को रेफर किया जाता, जहाँ पर मेरे द्वारा स्वयं चिकित्सक का कार्य संपादित किया जाता है, तब यह भी अनुचित होता एवं अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में मरीजों को भर्ती कर उपचार किये जाने का प्राविधान है। कृशन हॉस्पिटल में सभी मरीजों को इमरजेंसी के रुप में भर्ती किया गया है जिनकी सभी जाँच रिपोर्ट रिकार्ड हेतु उपलब्ध है।

आरोप संख्या –02–विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

"कारण बताओ नोटिस" के आरोप संख्या 02 के सम्बन्ध में कृशन हॉस्पिटल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतया असंतोषजनक है। अस्पताल द्वारा अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अस्पताल द्वारा सभी 17 मरीजों (जो इमरजेंसी में भर्ती किये गए) के मेडिकल अभिलेखों, प्रोग्रेस चार्ट, क्लीनिकल नोट्स तथा डिस्चार्ज समरी में भर्ती का समय तथा उपचार का समय क्यों अंकित नहीं है ? इन सभी अभिलेखों में मरीज के भर्ती होने का समय तथा मरीजों के उपचार किये जाने का समय अंकित न होना एक गंभीर अनियमितता है और मरीजों का अस्पताल द्वारा ईलाज किये जाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस सम्बन्ध में अस्पताल द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना इस संदेह की पुष्टि करता है कि इन मरीजों के ईलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्रस्तुत किये क्लेम स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः इस अस्पताल को क्लेम्स का भुगतान अनुमन्य नहीं है।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के विरुद्ध आरोप संख्या 02 पूर्णतः सिद्ध होता है।

आरोप संख्या –03–

कृशन हॉस्पिटल के अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत यह तथ्य सामने आया है कि सभी भर्ती मरीजों में प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही उपचार प्रारंभ किया गया है जो की संदेह की

11.07.19

स्थिति उत्पन्न करता है। यह कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

जाँच समिति की टिप्पणी – उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 03 के संबंध में जाँच समिति की राय है कि– 17 मरीजों मे से 03 मरीजों (क0सं0 2 में अंकित सुश्री नीतू यादव, 5 में अंकित सुश्री कमला रानी एवं 12 में अंकित सुश्री जीत कौर) का प्री–ऑथ अप्रूवल ऑटो अप्रूवल हुआ तथा शेष 14 मरीजों (क0सं0 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17) को राज्य हैल्थ एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कियान्वयन सहायता एजेंसी के माध्यम से अप्रूव किया गया। 12 मरीजों (क0सं0 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,14,17) का प्री–ऑथराईजेशन सायं 06:00 बजे के बाद एवं 05 मरीजों (क0सं0 7,9,13,15,16) का प्री–ऑथराईजेशन 11:55 से 17:47 तक के बीच में इनिशियेट किया गया। जबकि मरीज के भर्ती होने का समय स्क्रीन शॉट के अतिरिक्त मरीज के किसी भी दस्तावेज (Clinical Notes, Progress Report and Discharge Card) में अंकित नहीं किया गया है। साथ ही 01 मरीज आयुष्मान कार्ड संख्या PF9SPBSHF Case No. CASE/HOSP5P73665/D8617 श्री भूपेन्द्र को 17.02.2019 को हॉस्पिटल में भर्ती दिखाया गया है लेकिन डिस्चार्ज कार्ड में डिस्चार्ज की तारीख अंकित नहीं की गई है एवं एक अन्य मरीज सुश्री जीत कौर Case No. CASE/HOSP5P73665/D58155 को हॉस्पिटल में भर्ती होना तथा डिस्चार्ज की तारीख डिस्चार्ज कार्ड में अंकित नहीं की गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं डॉ0 गौरव अग्रवाल द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों में मरीज के भर्ती का समय व उपचार प्रारम्भ करने का समय का अंकन नहीं करने के कारण जाँच समिति द्वारा भर्ती मरीजों में प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही उपचार प्रारंभ किया गया है अथवा नहीं पर कोई राय व्यक्त किया जाना संभव नहीं है।

आरोप संख्या –03– का प्रतिउत्तर–

कृशन हॉस्पिटल में प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही उपचार प्रारंभ कर दिया गया है, जैसा की जाँच समिति द्वारा आरोप लगाया गया है, के संबंध में अवगत कराना है कि कृशन हॉस्पिटल में उपचार हेतु आने वाले लाभार्थियों को उनके हित में ईलाज करते हुए उपचार प्रारंभ किया गया है, यदि अप्रूवल नहीं भी दिया जाता तब भी भर्ती मरीजों को पूर्ण उपचार करते हुए चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जाता।

आरोप संख्या –03– विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

आरोप संख्या 03 के सम्बन्ध में कृशन हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही मरीजों का ईलाज किया गया है।

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

11.07.19

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Emergency Cases में बिना TPIN लिये सर्जरी/ट्रीटमेंट किया गया है। इस प्रकार कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर का यह कृत्य मरीजों के उपचार में धोखाधड़ी का संदेह भी उत्पन्न करता है।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के विरुद्ध आरोप संख्या 03 पूर्णतः सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या –04–</u>

कृशन हॉस्पिटल, आर.आर. क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रस्तुत मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स के परीक्षण के उपरांत यह तथ्य भी सामने आया है कि मरीजों की डायग्नोसिस बिना किसी जाँच (पैथोलाजी/रेडियोलॉजी) के ही की गई है। जैसे कि मरीज भूपेन्द्र, उम्र 16 वर्ष, भर्ती दिनांक 17 फरवरी 2019, आयुष्मान कार्ड संख्या PF9SPBSHF की डायग्नोसिस Fever with thrombocytopaenia admission slip में अंकित की गई है परंतु डायग्नोसिस से संबंधित जाँच तथा उपचार नहीं दिया गया है जो की संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि मरीजों को साधारण बीमारी के होते हुए भी इमरजेन्सी में भर्ती किया गया है। उसी प्रकार अन्य मरीज श्रीमती कमला रानी, उम्र 32 वर्ष, भर्ती दिनांक 27 फरवरी 2019, आयुष्मान कार्ड संख्या PUR7PIPER की डायग्नोसिस admission slip में Acute febrile illness cause? acute bronchitis? Pneumonitis अंकित की गई है तथा urgent chest x-ray किये जाने का उल्लेख भी किया गया है परंतु कोई भी x-ray की जाँच रिर्पोट संलग्न न करना संदेहास्पद है। यह कृत्य अटल

1.07.19

आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

जाँच समिति की टिप्पणी – कुल 17 मरीजों में से 04 मरीजों (क0सं0 6,8,11,13) की ही हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान खून की जाँच की गई जबकि शेष 13 मरीजों की हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान पैथॉलोजी एवं रेडियोलोजी से संबंधित जाँच नहीं की गई। यह प्रकिया हॉस्पिटल द्वारा कूटनीति को दर्शाता है।

तालिका में क0सं0 7 पर अंकित आयुष्मान कार्ड संख्या PF9SPBSHF Case No. CASE/HOSP5P73665/D8617 श्री भूपेन्द्र को 17.02.2019 को हॉस्पिटल में (Pyrexia of Unknown origin) आपातकालीन स्थिति में भर्ती किया गया तथा हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई लेकिन डिस्चार्ज कार्ड में Date of discharge and time अंकित नहीं किया गया तथा डायग्नोसिस Fever with Thrombocytopaenia लिखी गयी जबकि इस मरीज की कोई भी खून अथवा अन्य जाँच नहीं की गयी है। Thrombocytopaenia बिना किसी खून की जाँच के कोई भी चिकित्सक डायग्नोसिस नहीं कर सकता।

तालिका में क0सं0 5 पर अंकित सुश्री कमला रानी आयुष्मान कार्ड संख्या PUR7PIPER Case No. CASE/HOSP5P73665/D11755 को Acute Bronchitis के लिए आपातकालीन स्थिति में एच0डी0यू0 में भर्ती किया गया तथा 27.02.2019 को खून की जाँच तथा urgent chest x-ray किये जाने की सलाह दी गई लेकिन मरीज का कोई भी test, X-ray नहीं किया गया तथा मरीज की 05.03.2019 को B/L Pneumonitis डायग्नोसिस के साथ छुट्टी कर दी गयी। यह कार्य हॉस्पिटल तथा चिकित्सक द्वारा अवैधानिक लाभ प्राप्त करने की पुष्टि करता है।

आरोप संख्या–04– का प्रतिउत्तर–

कृशन हॉस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि ई0सी0जी0, एक्स–रे एवं लैब की जाँचों के अभिलेख उपलब्ध हैं। किसी कारणवश जानकारी न होने के अभाव में उक्त रिपोर्टों को अटल आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

आरोप संख्या–04– विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

आरोप संख्या –04 के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जाँच समिति द्वारा यह आख्या दी गयी है कि कुल 17 मरीज जो अस्पताल में भर्ती हुए, उनमें से 13 मरीजों की अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कोई जाँच (test) या परीक्षण (investigation) नहीं किये गये हैं जबकि सभी मरीज "इमरजेंसी" में भर्ती हुए थे। कृशन हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप को भी स्वीकार किया गया है तथा अपने स्पष्टीकरण में यद्यपि यह कहा है कि "जाँचों के अभिलेख उपलब्ध हैं किसी कारणवश जानकारी न होने के अभाव में उक्त रिपोर्टों को अटल आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।" कृशन हॉस्पिटल का यह स्पष्टीकरण

11.07.19

असंतोषजनक एवं अविश्वसनीय है। यदि कृशन हॉस्पिटल के पास जाँच रिपोर्टस् उपलब्ध होतीं तो वे अब "कारण बताओ नोटिस" के उत्तर के साथ उन्हें संलग्न कर सकते थे। अतः कृशन हॉस्पिटल का उत्तर मान्य नहीं है तथा इस संदेह की पुष्टि होती है कि इन 13 मामलों में कृशन हॉस्पिटल द्वारा मरीजों का ईलाज नहीं किया गया है और योजना के अंतर्गत फर्जी क्लेम किये गये हैं।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर के विरुद्ध आरोप संख्या 04 सिद्ध होता है।

आदेश

अतएव कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर को दिनांक 01 जून 2019 को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" में लगाये गये आरोप संख्या 01 से आरोप संख्या 04 तक प्रत्येक आरोप सिद्ध होता है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) की Guidelines तथा कृशन हॉस्पिटल एवं राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के मध्य अनुबंध की शर्तों के पालन न होने और कृशन हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर प्रस्ताव देकर अनुबंध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

I. कृशन हॉस्पिटल, आर.आर. क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरुनानक गर्ल्स इन्टर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कृशन हॉस्पिटल को de-empanel किया जाता है।

II. कृशन हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत किये गए सभी 17 क्लेमस् निरस्त किये जाते हैं।

III. उक्त 17 क्लेमों में से 06 क्लेमों में कृशन हॉस्पिटल को SHA द्वारा भुगतान की गयी धनराशि रु0 55800/– 7 दिन के अंदर कृशन हॉस्पिटल द्वारा SHA को वापिस की जाये।

IV. उपरोक्त 06 क्लोमों में वर्णित धनराशि रू0 55800/– पर दो गुना दण्ड रू0 111600/– भी लगाया जाता है।

V. उक्त 17 क्लेमों में से 11 क्लेमस की धनराशि रु0 85500/– जो लंबित है तथा जिसका भुगतान कृशन हॉस्पिटल को नहीं किया गया है, चूँकि सभी क्लेमस निरस्त कर दिये गए हैं, अतः इस धनराशि का भुगतान कृशन हॉस्पिटल को नहीं किया जायेगा।

VI. इस आदेश के बिन्दु (III) एवं (IV) में वर्णित कुल धनराशि रू0 167400/– को कृशन हॉस्पिटल रूद्रपुर इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को वापिस करना सुनिश्चित करें।

11.07.19

VII. निर्धारित अवधि के अंदर उक्त (VI) में उल्लिखित कुल धनराशि वापिस न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को श्री विजय कुमार अग्रवाल, संचालक कृशन हॉस्पिटल, आर0 आर0 क्वाटर नं0 1, ऑपोजिट गुरू नानक गर्ल्स इन्टर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रूद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

11.07.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रूप से आरोप सं0 01 के सम्बन्ध में कार्रवाई हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

6. श्री विजय कुमार अग्रवाल, संचालक कृशन हॉस्पिटल, आर0 आर0 क्वाटर नं0 1, ऑपोजिट गुरू नानक गर्ल्स इन्टर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रूद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना